

FORM NO. III

फर्द अहकाम
नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री श्रीराम जाति अहीर निवासी माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना
बनाम


अतरदेव/पत्नी विक्रम सिंह जाति कुमार निवासी करनीकोट तह0 मुण्डावर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 74

सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>12.03.2024 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 68 रकबा 0.41 है0,67 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम—माधोसिंहपुरा—तह0—नीमराना—जिला कोटपूतली—बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करें। यदि प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करने में विफल रहे है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा बाद तलबी दिनांक 24.04.2024 को पेश हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अज यह पत्रावली पेश हुई... प्रार्थी... को
वकील उपस्थित है... हलकी... को उक्त
बाहसे है। पत्रावली बाहसे... रजि0 तलवती
दिनांक ... 8/7/24... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

२५
२५

Note pages

45

8.7.84 मातृ पत्रावली-पेशावली
 पत्रावली में सूखे काट कोटि
 में लाइजि-वे चुका दे। जारी
 वाली में प्रारम्भ 212 RTA
 जोर दे। किफ हो को
 जारी का प्रारम्भ 212 RTA
 जोर दे। में लाइजि किफ
 काट दे। पत्रावली दिनांक
 शुभ चोका गका है को
 जो काट प्रारम्भ मुलाक करे
 काट करे।

उपरवण्ड अधिकारी
 गीमरना (कोटपूली-बरोड़)